मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 6 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 15, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. शपथ/प्रतिज्ञान

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 47-मलेहरा से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री कपूरचन्द्र घुवारा द्वारा शपथ गये.

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण श्री मनमोहन शाह "बट्टी", श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री हमीद काजी तथा श्री रामलखन शर्मा ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.38 बजे 5 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10.45 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 70 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 77 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने दतिया के ग्राम कंजोली थाना थरेट निवासी मुकेश पुत्र तलाराम बघेल का अपहरण किये जाने,

(2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने मुरैना जिले के गोपालपुरा स्थित तालाब का कई वर्षों से रखरखाव न होने से जल स्तर कम होने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के कई आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में विद्युत केबल लाईन टूट जाने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले के अनेकों ग्रामों में खरीफ एवं रबी के सीजन में मांग अनुरूप विद्युत नहीं दिये जाने,

(5) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य ने जिला चिकित्सालय शहडोल में पदस्थ प्रभारी मुख्य जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में अनियमितता किये जाने, तथा

(6) डॉ. सुनीलम, सदस्य ने बैतूल जिले में किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली न मिलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने -

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की धारा 75-क की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (27) बी-4-8-05-2-पांच, दिनांक 24 अप्रैल, 2006,

(ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-7-2006-1-पांच-(40), दिनांक 14 जून, 2006,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-6-06-1-पांच (35), दिनांक 1 मई, 2006; तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-2-06-1-पांच (34), दिनांक 1 मई, 2006,

(ग) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-29-2004-1-पांच-(39), दिनांक 2 अगस्त, 2005,

(ii) अधिसूचना क्रमांक ए-3-68-2004-1-पांच (04), दिनांक 1 फरवरी, 2005,

(iii) अधिसूचना क्रमांक ए-3-100-2001-वि.क.-पांच (108), दिनांक 26 दिसम्बर, 2001; तथा

(iv) शुद्धि पत्र क्रमांक ए-3-100-2001-विक-पांच, दिनांक 4 फरवरी, 2002, एवं

(घ) लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) की धारा 7-सी की अपेक्षानुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-12-98-अ-ग्यारह, दिनांक 19 जुलाई, 2006,

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2)की अपेक्षानुसार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 198-एफ-15-3-2005-चार-ब-आनीविइ,दिनांक 13 जुलाई,2006,

(3) श्री नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 172 (क) एवं 185 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2004-2005, तथा

(4) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भिण्ड जिले में ए.बी.सी. एवं बी.एम.सी. नहर का रखरखाव न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने सीहोर जिले के अनेक ग्रामों की दुग्ध डेयरी योजनाओं को स्वीकृति न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रूस्तम सिंह, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री करण सिंह वर्मा, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का चौदहवां से अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया), सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम धमना स्थित हाई स्कूल का भवन बनाये जाने,

(ख) ग्राम गरकटा तिन्दी एवं सिमरिया के बीच नदी पर पुल बनाये जाने,

(ग) ग्राम केरपानी एवं नरसिंहपुर के बीच नर्मदा नदी पर पुल बनाये जाने,

(घ) ग्राम चिनकी स्थित विद्यालय का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम लौकीपार के पास बारू-रेवा नदी पर पुल बनाये जाने,

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले के ग्राम कन्देला में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,

(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य ने बुरहानपुर जिले के -

(क) ग्राम पिपलौद से बोरगांव-बुजुर्ग तक डामरीकृत सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम आसिर से सिवल तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ग) पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान दिलाये जाने,

(4) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य ने छिंदवाड़ा जिले के -

(क) परासिया नगर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने,

(ख) परासिया नगर में बायपास रोड बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम खिरसाडोह में कृषि उपज उप-मण्डी खोले जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

9. वक्तव्य

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा ने दिनांक 24 जुलाई, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 98 (क्रमांक 1605) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा ने महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006), तथा

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 24 सन् 2006),

सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किये

11. वर्ष 2006-2007 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,64, 65, 66, 67,70, 74, 77, 79, 80, 81 तथा 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर ग्यारह सौ तिहत्तर करोड़, चौहत्तर लाख, उनतीस हजार, तीन सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे
(2) श्रीमती सुधा जैन
(3) श्री रामलखन शर्मा

(1.02 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल
(5) श्री लाल सिंह आर्य
(6) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(7) डॉ. सुनीलम्
(8) श्री ओमप्रकाश खटीक
(9) डॉ. गोविन्द सिंह
(10) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(11) श्री रामनिवास रावत
(12) श्री दुर्गालाल विजय
(13) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(14) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(15) श्री शंकर लाल तिवारी
(16) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(17) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(18) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006) का सदन की अनुमति से पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3, तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

05.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 7 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 16, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.